क्रम-संख्या—247

रजिस्ट्रेशन नम्बर—जी०—11/लाई०—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 अक्टूबर, 2006
कार्तिक 4, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग—1

संख्या 1283/सात-वि-1-01(क)30-2006
लखनऊ, 26 अक्टूबर, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 38 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 38 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) यह धारा लखनऊ विश्वविद्यालय के लिये लागू होगी।"

अनुसूची का संशोधन

3—मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या 2 से 12 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात् :—

2—चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	बागपत, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर।
3—छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	इलाहाबाद, औरैय्या, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर, खीरी, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली और उन्नाव।
4—दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर और सिद्धार्थनगर।
5—डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी और मथुरा।
6—डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद	अम्बेदकरनगर, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, गोण्डा, प्रतापगढ़, श्रावस्ती और सुल्तानपुर।
7—महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली	बदायूँ, बरेली, बिजनौर, ज्योतिबाफुले नगर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर और शाहजहांपुर।
8—बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय	बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर और महोबा।
9—वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, विश्वविद्यालय, जौनपुर	आजमगढ़, बलिया, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, मीरजापुर, संतरविदासनगर, सोनभद्र और वाराणसी।

———

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उसमें नये जिलों के गठन के फलस्वरूप कुमायूँ विश्वविद्यालय एवं हेमवतीनन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तरांचल राज्य के भाग बन गये थे और केन्द्र द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन ग्रहण करने के फलस्वरूप उक्त विश्वविद्यालय का नाम उक्त अधिनियम के उपबन्धों में से निकाले जाने और राज्य विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार का अवधारण करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के कतिपय उपबन्धों में विगत कई वर्षों से संशोधन की आवश्यकता थी। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) और उसकी अनुसूची में संशोधन करके वर्तमान स्थिति के अनुसार उसमें प्राविधान किये जायं।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राज मणि चौहान,
प्रमुख सचिव।

No. 1283/VII-V-1-1-(Ka)-30-2006

Dated Lucknow, October 26, 2006

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 28 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature an assented to by the Governor on October 23, 2006 :—

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2006

(U. P. ACT NO. 28 OF 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2006.

Amendment of section 38 of President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by the U.P. Act no. 29 of 1974

2. In section 38 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 hereinafter referred to as the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) This section shall apply to the University of Lucknow"

Amendment of the Schedule

3. In the Schedule to the principal Act, for entries at serial numbers 2 to 12, the following entries shall be substituted, namley :—

2.	Chaudhary Charan Singh University, Meerut	Baghpat, Buland Shahr, Gautam Buddha Nagar, Ghaziabad, Meerut, Muzaffar Nagar and Saharanpur.
3.	Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur	Allahabad, Auraiya, Etawah, Farrukhabad, Fatehpur, Hardoi, Kannauj, Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, Kaushambhi, Lakhimpur, Kheri, Lucknow, Sitapur, Rae bareli and Unnao.
4.	Deen Dayal Upadhyaya, Gorakhpur University, Gorakhpur	Basti, Deoria, Gorakhpur, Kushi Nagar, Maharajganj, Sant Kabir Nagar and Siddharth Nagar.
5.	Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra	Agra, Aligarh, Etah, Firozabad, Hathras, Mainpuri and Mathura.
6.	Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad	Ambedkar Nagar, Bahraich, Balrampur, Bara Banki, Faizabad, Gonda, Pratapgarh, Shrawasti and Sultanpur.
7.	Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly	Badaun, Bareilly, Bijnor, Jyotiba Phule Nagar, Moradabad, Pilibhit, Rampur and Shahjahanpur.

8.	The University of Bundelkhand	Banda, Chitrakut, Hamirpur, Jalaun, Jhansi, Lalitpur and Mahoba.
9.	Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur	Azamgarh, Ballia, Chandauli, Ghazipur, Jaunpur, Mau, Mirzapur, Sant Ravidas Nagar Sonbhadra and Varanasi.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to re-organization of the State of Uttar Pradesh and formation of new districts therein, the Kumaon University and Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University had become the part of the Uttaranchal State and on account of taking over by the Centre the administration of the Allahabad University, amendments in certain provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 regarding omission of the name of the said University from the provision of the said Act and determination of jurisdiction of State University had been needed for the last several years. It has, therefore, been decided to amend sub-section (1) of section 38 of the said Act and the Schedule thereto, to make the provisions thereof in accordance with the present position.

The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,
R. M. CHAUHAN,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 2997 राजपत्र (हि०)–(6138)–2006–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 174 सा० विधा०–(6139)–2006–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।